संख्या-14/2016/529 ई-2/तेरह-2016-216/90

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च,2016

विषय:-मैच्योर्ड माल्ट स्प्रिट का देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-38/नौ-अल्कोहल/देश के बाहर नियात(4)/भा0नि0वि0म0, दिनांक 28 जनवरी2016 तथा पत्र संख्या-जी-42/नौ-अल्कोहल/देश के बाहर नियात(4)/भा0नि0वि0म0, दिनांक 25 फरवरी2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त संदर्भित पत्रों में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अल्कोहल वर्ष 2015-16 में मेसर्स रेडिको खेतान लि0, जनपद रामपुर को 50,000(पचास हजार) ब0ली0 मैच्योर्ड माल्ट स्प्रिट का देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। यह अनुमति इकाई की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत ही होगा।

कृपया नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in